भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 1982.

एफ. क्र. 6-5-81-3-एक.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण), नियंत्रण तथा (अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 में,—

(1) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किये जायं, अर्थात्:—

"(2-क) जहां किसी शासकीय सेवक को उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निलंबित किया जाय, वहां निलबन-आदेश में, एसा आदेश करने के कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जहां ऐसे शासकीय सेवक के विरुद्ध नियम 14 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो वहां नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आनुशासिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को आरोप-पदों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की ओर उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप-पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि निलंबन-आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायगी या जारी करवाई जायगी:

परन्तु जहां आनुशासिक प्राधिकारी राज्य सरकार हो, वहां आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि ऊपर वर्णित की गई है, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को निलंबन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायगी या जारी करवाई जायगी.

(2-ख) जहां आनुशासिक प्राधिकारी आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावजों की, जो कि उप नियम (2-क) में निर्दिष्ट की गई है, प्रतिलिपि 45 दिन की कालावधि के भीतर शासकीय सेवक को जारी न करें, वहां आनुशासिक प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से निलंबन की उक्त कालावधि को बढ़ाने के लिये लिखित में आदेश अभिप्राप्त करेगा:

परन्तु निलंबन की कालावधि में, निलंबन-आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में वृद्धि नहीं की जायगी"

(2) उप नियम (5) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किये जायं, अर्थात्:—

"परन्तु निलंबन आदेश के दिनांक से पैंतालीस दिन की कालावधि के समाप्त होन पर निलंबन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो उप नियम (2-क) में निर्दिष्ट की गई है, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को उप नियम (2-ख) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार आनुशासिक प्राधिकारी द्वारा (यदि वह राज्य सरकार न हो) उक्त दस्तावेजों के जारी करने की कालावधि के बढ़ाये जाने के लिये राज्य सरकार का आदेश अभिप्राप्त किये बिना, जारी न की जाये:

"परन्तु यह और भी कि निलंबन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि समाप्त होने पर निलंबन-आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की, जो कि उप नियम (2-क) में निर्दिष्ट की गई है, प्रतिलिपि शासकीय सेवक को जारी न की जायं."

(3) उपनियम (5) के विद्यमान खण्ड (ख) तथा (ग) क्रमशः खण्ड (ग) तथा (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किये जायं और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जायं, अर्थात्:—

"(ख) ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में, जिसका निलंबन आदेश खण्ड (क) के प्रथम या द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रतिसंहृत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना समीचीन समझें, नियम 14 के उप नियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उसको आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि जारी किये जाने के पश्चात् उसे निलंबित करेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 1982.

एफ क्र. 6-5-81-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 6-5-81-3-एक, दिनांक 26 फरवरी 1982 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th February 1982

No. F.-6-5-81-3-I.—In exercise of the powers conferred by the perviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 namely :—

Amendment

In the said rules, in rule 9,—

(1) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(2-a) Where a Government servant is placed under suspension under clause (a) of sub-rule (1), the order of suspension shall contain the reasons for making such order and where it is proposed to hold an enquiry against such Government servant under rule 14, a copy of the articles of charges, the statement of imputations of misconduct or mis-behavior and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained shall be issued or caused to be issued by the disciplinary authority to such Government servant as required by sub-rule (4) of rule 14, within a period of 45 days from the date of order of suspension :

Provided that where the displinary authority is the State Government, the copy of charges and other documents mentioned above shall be issued or caused to be issued to such Government servant within a period of 90 days from the date of order of suspension.

(2-b) Where the disciplinary authority fails to issue to the Government servant, a copy of the charges and other documents referred to in sub-rule (2-a) within the period of 45 days, the disciplinary authority shall, before expiry of the said period, obtain orders in writing of the State Government for extension of the said period of suspension :

Provided that the period of suspension shall in no case be enhanced beyond a period of 90 days from the date of the order of suspension."

(2) after clause (a) of sub-rule (5) the following provisons shall be inserted, namely :—

"Provided that the order of suspension shall stand revoked on expiry of the period of forty five days from the date of order of suspension in case a copy of charges and other documents referred to in sub-rule (2-a) are not issued to such Government servant by the disciplinary authority (if it is not the State Government) without obtaining the orders of the State Government for extension of the period for issue of the said documents, as required under sub-rule (2-b) :

Provided further that the order of suspension shall stand revoked on expiry of the period of 90 days from the date of order of suspension, in case the copy of charges and other documents referred to in sub-rule (2-a) are not issued to such Government servant."

(3) The existing clauses (b) and (c) of sub-rule (5) shall be relettered as clauses (c) and (d) respectively and the following clause shall be inserted berfore clause (c) as so relettered, namely :—

"(b) In respect of a Government servant, whose orders of suspension stand revoked in accordance with the first or second proviso of clause (a) the authority competent may, if it considers expedient so to do, place him under suspension after a copy of charges and other documents, as required by sub-rule (4) of rule 14, have been issued to him."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. N. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1982